दिनांक १८/०७/१७

पत्रावली पेश हुयी। पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित पक्षकारो के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद विन्दु बनाये जाते है।

०१- क्या वादी प्रश्नगत भूमि भूखण्ड का सह स्वामी अध्यासीन है?

२- क्या प्रश्नगत बिक्रय पत्र वाद पत्र मे दिये गये आधारो पर खण्डित किये जाने योग्य है?

३- क्या वाद न्यून मूल्यांकित है?

४- क्या प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?

५- क्या वाद काल वाधित है?

६- क्या वाद विवन्धन व मौनानुमतिके सिद्वान्त से वाधित है?

७- क्या वाद धारा ३४,३९,४१,विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से वाधित है?

८- क्या वाद धारा ३३१ उ०प्र०एक्ट सं० १सन१९५१ के प्राविधानो से वाधित हे?

९- क्या वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ?

१०- क्या वाद आदेश ७ नियम ११के प्रविधानो से वाधित हैं

११- क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

उपरोक्त वाद विन्दुओ के अलावा अन्य कोई वाद विन्दु नही बनता और न ही बल दिया गया है पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद विन्दु सं० ३ दिनांक ०३/०८/१७ को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)

कायमगंज।

दिनांक १८/०७/१७

पत्रावली पेश हुयी। पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली वास्तेवाद विन्दु सं०३ नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को वाद विन्दु सं० ३ पर सुना। प्रतिवादी अधिवक्ता बल देने हेतु उपस्थित नही है।

निस्तारण वाद विन्दु सं३

वाद विन्दु सं३ इस आशय से निर्मित किया गया है कि क्या प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है। इस वाद विन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

प्रतिवादीगण का कथन है विवादित सम्पत्ति का मूल्यांकन अत्यधिक है

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

वादी द्वारा

सिविल जज (जू०डि०)

कायमगंज